



-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 13.08.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा घर में घुसकर नलों की टोंटी एवं नगदी चोरी करने वाले अभियुक्तों तथा चोरी का माल खरीदने वाले कुल 04 अभियुक्तों को सूचना के 12 घण्टे के अंदर किया गया गिरफ्तार। अभियुक्तों के कब्जे से माल व नगदी बरामद।

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 12/13.08.2026 की देर रात्रि को थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा घर में घुसकर नलों की टोंटी एवं नगदी चोरी करने वाले अभियुक्तों तथा चोरी का माल खरीदने वाले कुल 04 अभियुक्तों को सूचना के 12 घण्टे के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया है। गौरतलब हो कि दिनांक 12.08.2026 को थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के रहने वाले अखिलेश द्वारा थाना कोतवाली नगर पर सूचना दी गई कि दिनांक 08/09.08.2026 की रात्रि में अज्ञात चोरों द्वारा उनके घर में घुसकर नलों की टोंटी व नगदी चोरी कर ली गई। पुलिस द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्तों की पहचान व गिरफ्तारी के टीमों का गठन किया गया। इसी क्रम में पुलिस को रात्रि गश्त एवं चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मवई बाई पास कृषि विश्वविद्यालय के पास से चोरी करने वाले 03 व चोरी का माल खरीदने वाले एक अभियुक्त आबिद को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ पर अभियुक्तों द्वारा अपना जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि दिनांक 08/09.08.2026 की रात्रि में हम तीनों लोगों ने अपने एक अन्य साथी अब्दुल के साथ मिलकर चोरी की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस द्वारा फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। इस सम्बन्ध में पुलिस टीम द्वारा और गहनता से जांच की जा रही है कि इनके द्वारा और किन-किन स्थानों और कितने लोगों के साथ इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया गया है साथ ही इनके आपराधिक इतिहास के बारे में भी जानकारी की जा रही है।

बरामदगी-

1. 25 नल की टोटी (चोरी की)
2. 08 हजार रुपए
3. एक ई-रिक्शा (घटना में प्रयुक्त)

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. मनी पुत्र खालिक निवासी निम्नीपार मर्दननाका थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।
2. अमीर उर्फ हमजा पुत्र कलीम निवासी चिपटहरी मर्दननाका थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।
3. अनस उर्फ पौडी पुत्र निजाम निवासी चिपटहरी मर्दननाका थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।
4. आबिद पुत्र जावेद निवासी खाईपार थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा। (चोरी का माल खरीदने वाला)

फरार अभियुक्त-

1. अब्दुल उर्फ पाव पुत्र गुड्डू निवासी मर्दननाका थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0 401/26 धारा 305/331(4)/3(5)/317(2) बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. चौकी प्रभारी सिविल लाइन श्री आशुतोष त्रिपाठी
2. उ0नि0 श्री दीपक चौधरी
3. का0 अंकित यादव
4. का0 नितेन्द्र कुमार
5. का0 गवेन्द्र
6. का0 रवि बिन्द